न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः— 25/19

1. ज्ञानसिंह पुत्र श्री वजीर सिंह उम्र 70 साल जाति जटसिख निवासी 2 एफ.एफ.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—प्रार्थी

बनाम

1. कपूर सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ.एफ.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
2. हरजीत कौर पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ.एफ.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
3. सीमा कौर पत्नी श्री रवजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ.एफ.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

—अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितिः—

1. श्री अजीत पाल सिंह वकील प्रार्थी
2. श्री राजीव जग्गा वकील अप्रार्थीगण

—: निर्णय :—

दिनांकः—11.09.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी जोत में पंहुचने के लिए अप्रार्थीगण की धृति 9 एफ.एफ.बी. रायसिंहनगर के प.नं. 220/235 मु.नं. 10 कि.नं. 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1—1 बिस्वा यानि 0.039 है0 पश्चिमी पासा रास्ता स्वीकृत फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता से अप्रार्थी कपूर सिंह की भूमि दो भागों में विभाजित हो जायेगी। साथ ही कि.नं. 11, 20, 21 में कच्चा खाला बना है तथा कि.नं. 21 में सिंचाई हेतु नक्का बना है। जो स्वीकृतशुद्धा है। जिससे मु.नं. 10 में सिंचाई होती है। रास्ता स्वीकार करने से मु.नं. 10 की सिंचाई सुविधा प्रभावित होगी तथा अप्रार्थी को काश्त करने में परेशानी होगी। अतः प्रार्थना—पत्र खारिज किया जावे। संबन्धित भू.अ. निरीक्षक से जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक के अनुसार प्रार्थी ज्ञान सिंह पुत्र वजीर सिंह की मु.नं. 10 कि.नं. 1 ता 10 की 2.530 है0 भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता प्रचलन में नही है। प्रार्थी को मु.नं. 10 कि.नं. 1 ता 10 में आवागमन हेतु मु.नं. 10 के कि.नं. 11, 20, 21 से प्रस्तावित रास्ता सबसे नजदीक सुविधाजनक पडता है। अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही लगता है। प्रकरण में कपूर सिंह व हरजीत कौर ने शपथ पत्र दिनांक 11.09.2019 पेश कर निवेदन किया है कि मु.नं. 10 के कि.नलं. 21 ता 25 व 14 ता 20 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। जिसमें से कि.नं. 15—16—25 में रास्ता स्वीकार करने पर सहमति प्रकट की।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु 9 एफ.एफ.बी. रायसिंहनगर के प.नं. 220/235 मु.नं. 10 कि.नं. 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1—1 बिस्वा यानि 0.039 है0 पश्चिमी पासा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने एतराज प्रकट करते हुए निवेदन किया कि यदि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता से अप्रार्थी कपूर सिंह की भूमि दो भागों में विभाजित हो जायेगी तथा अप्रार्थी को काश्त करने में परेशानी होगी। न्यायालय के प्रकरण सं. 30/2019 अनवानी हरजीत कौर बनाम कपूर सिह में चाहा गया

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

रास्ता स्वीकृत करने से मु.नं. 10 के कि.नं. 25 में दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थी इसी मुरब्बा नम्बर के कि.नं. 15–16 में से होते हुए अपनी भूमि में प्रवेश कर सकता हैं। यदि 11–20–21 में से रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो प्रार्थी की भूमि में से दो रास्ते स्वीकृत हो जाएंगे। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। यदि कि.नं. 15–16 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं, का कथन किया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट भू.अ.नि. तथा नजरी नक्शा का अवलोकन किया। भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ज्ञान सिंह पुत्र वजीर सिंह की मु.नं. 10 कि.नं. 1 ता 10 की 2.530 है0 भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता प्रचलन में नही है। चूंकि प्रार्थी के पास अपनी धृति में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधर पर एवं प्रार्थी को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। तथा न्यायालय की अन्य पत्रावली 30/2019 अनवानी हरजीत कौर बनाम कपूर सिंह के अवलोकन के पश्चात अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर चक 9 एफ.एफ.बी. रायसिंहनगर के प.नं. 220/235 मु.नं. 10 कि.नं. 15–16 प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा यानि 0.026 है0 पूर्वी पासा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता का अमल दरामद करें। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले में अप्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि से चिपती रास्ते में आई भूमि के समान उतनी ही भूमि देगा। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर नियमानुसार प्रार्थी के रकबे में उक्त भूमि कम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करें इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner